


सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद न्यायालय, बुलन्दशहर में प्रस्तावित 19 न्याय कक्षों के निर्माण स्थल पर स्थित 64 (शीशम 01, छितवन 01, यूकेलिप्टस 41, बड 01, पापडी 01, फाइक्स 01, जामुन 01, नीम 03, आम 01, अशोक 06) पेड़ों की नीलामी हेतु बोली दिनांक 25.03.2021 को सांय 04.30 बजे केन्द्रीय कक्ष जिला न्यायालय, बुलन्दशहर में बोली जायेगी। इच्छुक व्यक्ति नियत समय एवं स्थान पर उपस्थित आकर बोली बोल सकते हैं।

नीलामी की शर्तें।

1. बोली बोलने के इच्छुक व्यक्ति को अपना पहचान-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
2. बोली बोलने वाले व्यक्ति को हैसियत प्रमाण-पत्र दाखिल करना होगा।
3. बोली बोलने से पूर्व सरकारी बोली का 10 प्रतिशत अग्रिम जमा करना होगा।
4. बोली स्वीकार होने की दशा में सम्पूर्ण धनराशि तुरन्त जमा करनी होगी।
5. जिला न्यायाधीश, बुलन्दशहर को अधिकार होगा कि वह किसी भी बोली को किसी समय बिना कारण बताये निरस्त कर दें।
6. बोली बोलने वाले व्यक्ति को समय-समय पर जिला न्यायाधीश के निर्देशों का पालन करना होगा।
7. यदि आपके द्वारा प्रकाष्ठ को अभिवहन किया जाता है, तो नियमानुसार अभिवहन शुल्क एवं धन पंजीकरण शुल्क क्षेत्रीय वन अधिकारी, बुलन्दशहर के कार्यालय में जमा करने के उपरान्त ही प्रकाष्ठ की निकासी की जायेगी।




(राम प्रताप सिंह)

अपर जिला न्यायाधीश
न्याय कक्ष संख्या- 02, बुलन्दशहर/
अध्यक्ष नीलामी समिति
जनपद न्यायालय बुलन्दशहर।

इस सूचना की प्रतिलिपि निम्नलिखित सूचना पटों पर चस्पा कराया जाये:

1. श्रीमान जिला न्यायाधीश, बुलन्दशहर।
2. श्रीमान जिलाधिकारी कार्यालय, बुलन्दशहर।
3. श्रीमान कार्यालय नगर पालिका परिषद, बुलन्दशहर।
4. कार्यालय जिला परिषद, बुलन्दशहर।
5. जिला सूचना अधिकारी वास्ते दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु।
6. प्रतिलिपि, डी०एस०ए० को माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद तथा जनपद न्यायालय बुलन्दशहर की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।



(राम प्रताप सिंह)

अपर जिला न्यायाधीश
न्याय कक्ष संख्या- 02, बुलन्दशहर
अध्यक्ष नीलामी समिति
जनपद न्यायालय बुलन्दशहर।

दिनांक - 16.03.2021.